

अनुच्छेद 31C के अस्तति्व पर प्रश्न

प्रलिमि्स के लिये:

<u>अनुच्छेद 31C, सर्वोच्च न्यायालय, केशवानंद भारती मामला (1973), मौलकि अधकार</u>

मेन्स के लिये:

अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 31 सेC संबद्ध कानूनी और संवैधानिक चुनौतयाँ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए <mark>अनुच्छेद 31C के अस्तित्व</mark> से संबंधित प्रश्न का निराकरण करने का फैसला किया है, ताकि यह तय किया जा सके कि सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण और पुनर्वितरण कर सकती है या नहीं।

अनुच्छेद 31C क्या है?

- परचिय:
 - अनुच्छेद 31C **सामाजिक लक्ष्यों को सुनश्चिति** करने के लिय बनाए गए **कानूनों की रक्षा** करता है:
 - अनुच्छेद 39B के अनुसार, "समुदाय के भौतिक संसाधनों" को सभी के लाभ के लिये आवंटित किया जाता है।
 - अनुच्छेद 39C के अनुसार, धन और उत्पादन के साधन "सामान्य हाना" के लिये "केंद्रित" नहीं हैं।
- अनुच्छेद 31C का परचिय:
 - सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (बैंक राष्ट्रीयकरण मामला, 1969), इसे 1971 में 25वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।
 - इस मामले में <u>बैंकिंग कंपनी (उपकर्मों का अधिगरहण और हस्तांतरण) अधिनियिम, 1969</u> को प्रदान किये गए मुआवज़े की समस्याओं के कारण इसे न्यायालय द्वारा गैरकानूनी घोषति कर दिया गया था।
- अनुच्छेद 31C का उद्देश्यः
 - ॰ अनुच्छेद 31C **नदिशक तत्त्वों (अनुच्छेद 39B व 39C)** को समता के अधिकार (अनुच्छेद 14) अथवा अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतपू<mark>र्वक आंदोल</mark>न करने का अधिकार, आदि) द्वारा चुनौती दिये जाने पर **सरंक्षण प्रदान** करता है।

अनुच्छेद 31C से जुड़ी कानूनी और संवैधानकि चुनौतयाँ क्या हैं?

- केशवानंद भारती मामला (1973):
 - ॰ सर्वोच्च न्यायालय ने <u>"मूल ढाँचा सदि्धांत</u>" की स्थापना करते हुए कहा है कि संविधान के कुछ मौलिक तत्त्व संसद द्वारा संविधान संशोधन के परति परतिरकषित हैं।
 - न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के एक भाग को यह कहते हुए अमान्य कर दिया कि किसीविशिष्ट सरकारी नीति पर आधारित होने का दावा करने वाले कानूनों को उस नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने के लिये न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
 - ॰ **इससे न्यायालय के लिये अनुच्छेद 39(B) व 39(C) को आगे बढ़ाने के लिये पारित कानून की समीक्षा करना** और यह आकलन करना संभव हो गया कि क्या उनके लक्ष्य वास्तव में इन धाराओं में बताए गए मूल्यों के साथ संरेखित हैं।
- संवधान (42) संशोधन अधनियिम, (CAA) 1976 और मनिर्वा मल्सि केस (1980):
 - CAA, 1976 ने संवधान के अनुच्छेद 36-51 में उल्लखिति राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्त्वों को शामिल करने के लियेअनुच्छेद
 31C के सुरक्षात्मक दायरे को बढ़ा दिया।
 - CAA, 1976 के खंड (4) ने न्यायालयों को संविधान के किसी भी संशोधन पर प्रश्न करने की उनकी शक्ति से वंचित कर दिया।
 - इसके अलावा, CAA, 1976 के खंड (5) ने संशोधन शक्ति पर सभी सीमाओं को हटाने का प्रयास किया।

- इसका उद्देश्य कुछ मौलिक अधिकारों के स्थान पर नीति-निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देना था, विशेष
 रूप से सामाजिक-आर्थिक सुधारों के लिये।
- ॰ मिनर्वा मिल्स केस (1980) के बाद के विधिक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने 42 वें संविधान संशोधन अधिनियिम, 1976 केखंड 4 और 5 को रदद कर दिया।
- ॰ इस **नयायिक घोषणा ने संवधान में बड़े पैमाने पर संशोधन करने के संसद के अधिकार की सीमाओं** को रेखांकित किया।
- ॰ परणािमस्वरूप, मनिर्वा मलिस मामले के उपरांत अनुचछेद 31C की वैधता एवं परयोज्यता के संबंध में परशन उठे ।

अनुच्छेद 31C के संबंध में क्या तर्क हैं?

- स्वचालित पुनरुद्धार के विरुद्ध तर्कः
 - ॰ मूल अनुच्छेद 31C को **42वें संशोधन में एक विस्तारित संस्करण** द्वारा पूरी तरह से 'प्रतिस्थापित' कर दिया गया था। अतः जब मनिर्वा मिल्स मामले में यह नया संस्करण रदद कर दिया गया, तो मूल संस्करण स्वचालित रूप से पुनर्जीवित नहीं हो सका।
 - यह तर्क उस विधिक सिद्धांत पर आधारित है जो एक बार प्रतिस्थापित होने के उपरांत,मूल प्रावधान तब तक अस्तित्व में नहीं आता
 जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से बहाल नहीं किया जाता।
- पुनरुद्धार के सिद्धांत के लिये तर्क:
 - ॰ पुनरुद्धार के सद्धांत के आधार पर मूल अनुच्छेद 31C को स्वचालति रूप से पुनर्जीवति किया जाना चाहिये।
 - इस दृष्टिकोण को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग के निर्णय जैसे उदाहरणों से समर्थन मिलता है, जहाँ रद्द किये गए संशोधनों के कारण पिछले प्रावधानों को पुनर्जीवित किया गया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि यदि बाद के संशोधन अमान्य हो जाते हैं तो पूर्व- संशोधित अनुच्छेद 31 C को फिर से बहाल करना चाहिये।

मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संघर्ष:

- चंपकम दोराइराजन बनाम मद्रास राज्य, 1951:
 - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों और नीति निरिशक सिद्धांतों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकारों की स्थिति प्रबल होगी।
 - ॰ इसने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिय और सहायक के रूप में चलना चाहिय।
 - ॰ यह भी माना गया कि <mark>मौलिक अधिकारों</mark> को संसद द्वारा संवैधानकि <mark>संशोधन अधिनि</mark>यम ब<mark>नाक</mark>र संशोधित किया जा सकता है।
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967:
 - ॰ इस मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने घोषणा की कि निर्देशक सिद्धांतों क<mark>े कार्यान्वयन</mark> के लिये भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
 - यह <u>'शंकरी परसाद मामले'</u> में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत था।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973:
 - ॰ इस मामले में **सर्वोच्च न्यायालय ने <u>गोलकनाथ मामले</u> में दिया हुआ अपना निर्णय पलट दिया। इसने 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए** कहा कि संसद को किसी भी <u>मौलिक अधिकार</u> को सीमित करने या छीनने का अधिकार है।
 - साथ ही, इसने संविधान की '**बुनियादी संरचना**' (या 'बुनियादी विशेषताएँ') का एक नया सिद्धांत निर्धारित किया।
 - ॰ सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनायाँ कि **अनुच्छेद ३६८ के अंतर्गत संसद की घटक शक्त**ि, संविधान की 'बुनियादी संरचना' को परविर्तित नहीं कर सकती है।
- मिन्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1980:
 - ॰ इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय संवधान <u>मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धां</u>तों के बीच **संतुलन की आधारशला** पर आधारति है।
 - ॰ संसद नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू कर<mark>ने के लिये मौ</mark>लिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है,**जब तक कि संशोधन संविधान की मूल संरचना को हानिनिर्ही पहुँचाता है।**

अनुच्छेद 31, 31A, 31B और 31C:

- परचिय:
 - संवधान के भाग 3 में उल्लखिति 7 मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था।
 - ॰ हालाँकि, संविधान लागू होने के समय से ही संपति का मौलिक अधिकार सबसे अधिक विवादास्पद रहा।
 - 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार, भाग 3 में अनुच्छेद 19 (1) (च) को समाप्त कर दिया
 गया और इसके लिये संविधान के भाग XII में नए अनुच्छेद 300 A के रूप में प्रावधान किया गया।
 - ॰ अनुच्छेद 31 ने कई संवैधानिक संशोधनों का नेतृत्व किया जैसे- 1, 4वें, 7वें, 25वें, 39वें, 40वें और 42वें संशोधन।
 - प्रथम संशोधन अधनियिम, 1951 ने अनुच्छेद 31A और 31B को संवधान में सम्मलिति किया।
 - 25वें संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31C को शामिल किया गया था।
- अनुच्छेद 31A:
 - यह कानूनों की पाँच श्रेणियों से व्यावृत्ति प्रदान करता है और इन्हें अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उललंघन के आधार पर चुनौती देकर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है।
 - ॰ यह राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या मांग के मामले में **मुआवज़े का गारंटीकृत अधिकार** भी प्रदान करता है।
 - इसमे समाविष्ट हैं:

- राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और संबंधित अधिकार।
- राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायति्व संभालना।
- नगिमों का वलिय।
- निगमों के निदेशकों या शेयरधारकों के अधिकारों का पुनर्निर्धारण या समाप्ति।
- खनन पटटे का पनरनरिधारण या उनकी समापति।

अनुच्छेद 31B:

- ॰ यह <u>नौवीं अनुसूची</u> में **उललखिति अधनियिमों एवं नियमों को वयावृत्त**ि पुरदान करता है।
- अनुच्छेद 31B का दायरा अनुच्छेद 31A से अधिक व्यापक है। अनुच्छेद 31B नौवीं अनुसूची में सम्मलिति किसी भी विधि को सभी मौलिक अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है फिर चाहे विधिअनुच्छेद 31A में उल्लिखिति पाँच श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो अथवा नहीं।
- हालाँकि आई. आर. कोएल्हो वनाम तमिलनाडु राज्य (2007) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा किनौवीं अनुसूची
 में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मुल विशेषता है और किसी विधि को नौवीं अनुसूची के अंतरगत रखकर इसकी यह विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती।
- 24 अप्रैल, 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार केशवानंद भारती वाद में अपने ऐतिहासिक निर्णय में संविधान के मौलिक ढाँचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. अनुच्छेद 31C से जुड़ी कानूनी और संवैधानकि चुनौतियों के बारे में चर्चा कीजिये?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

[?]?]?]?]?]?]?]:

प्रश्न. भारतीय न्यायपालकाि के संदर्भ में, निम्नलिखति कथनों पर विचार कीजियै: (2021)

- 1. भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।
- 2. भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्त प्राप्त है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक सांविधानिक स्थिति क्या थी? (2021)

- (a) लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- (b) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- (c) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न पंथनरिपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- (d) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनरिपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य

उत्तर: (b)

?!?!?!?!?:

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियिम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)

